संख्या-99/2015/1541/78-2-2015-60आई.टी./2015

प्रेषक,

भूपेन्द्र एस0 चौधरी
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर,
उत्तर प्रदेश।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊ: दिनांक: 26 नवम्बर, 2015

विषय: मेगा कॉल सेन्टर की स्थापना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में पारित प्रथम अनुपूरक अनुदान मांगो में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडेस्को के पत्र संख्या-904/124/2790, दिनांक 11-09-2015 के द्वारा उपलब्ध कराये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मेगा कॉल सेन्टर की स्थापना के लिए कन्सलटेंट संस्था तथा सिस्टम इन्टीग्रेटर का भुगतान-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राविधानित धनराशि रू0 64.78 लाख (रूपये चौसठ लाख अठहत्तर हजार मात्र) की स्वीकृति मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए एक मेगा कॉल सेन्टर की स्थापना हेतु प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

(1) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा धनराशि का आहरण कर मेगा कॉल सेन्टर की स्थापना हेतु व्यय किया जायेगा। उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश, कानपुर, आहरण तथा विवरण का लेखा-जोखा अपने यहॉ भी रखेंगे।

(2) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/दस-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) उक्त धनराशि के व्यय वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए धनराशि व्यय की जायेगी, यदि स्वीकृत धनराशि में कोई बचत होती है तो उसे शासन को अवगत कराते हुए कोषागार में जमा किया जायेगा।

(4) उक्त धनराशि का उपयोग ट्रांजेक्शन एडवाइजर/कन्सल्टेन्ट संस्था को कन्सलटेन्सी शुल्क के लिए ही किया जायेगा।

(5) इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-2/20155/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र तैयार कर महालेखाकार, उ0प्र0 उद्योग निदेशक, कानपुर तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अनुपूरक अनुदान संख्या-7 उद्योग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के लेखा शीर्ष "2852-उद्योग (आयोजनागत)-07-दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-17-मेगा काल सेन्टर की स्थापना के लिए कन्सलटेंट संस्था तथा सिस्टम इन्टीग्रेटर का भुगतान-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(भूपेन्द्र एस0 चौधरी)
विशेष सचिव

संख्या- 99/2015/1541(1)/78-2-2015 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकर (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0,लखनऊ।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
4- संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/मुख्यमंत्री कार्यालय-3।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in